

टर्वर्क मार्केटिंग कंपनी पीएफए डायरेक्टर ने सबसे बड़े सम्मान से नवाजा है। यह सम्मान नके द्वारा सुशील मिश्रा का अफल परिश्रम और लोकप्रियता खकर प्रभावित हुई है। रंगुलाल कैरियर इक ट्रेकिंग कंपनी के डी सुशील मिश्रा के कामों के गरण दिया गया है। सुशील मिश्रा (30) रंगुलाल कैरियर इक किंग कंपनी के चेयरमैन एवं बंधक निदेशक हैं। सुशील मिश्रा अमेरिका में रहकर मार्केटिंग कंपनियों का परिचालन करते हैं। कैनविज टाइम्स की खबर के अनुसार इन लोगों को विभिन्न द्वारों में मसलन स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक सेवा, मानवीय कार्यों के अलावा संस्कृति, धरोहर और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवार्ड की घोषणा पीएफए नेटवर्किंग बिजनेस के डायरेक्टर ने सुशील मिश्रा के बिजनेस को लगातार बढ़ाते हुए देखकर और उनके कार्यों से प्रभावित होकर लगातार दो साल से सुशील मिश्रा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन अमेरिका के सबसे बड़े होटल कैलिफोर्निया स्टेट के विन होटल लास वेगस शहर में किया गया था। यूपी के गोंडा जिले में हुआ है जन्म: सुशील मिश्रा का जन्म गोंडा में हुआ है। उन्हें यह सम्मान सुशील मिश्रा के बिजनेस और इंडस्ट्री ग्रोथ में उनके योगदान के कारण दिया गया है। अवॉर्ड मिलने के बाद उन्होंने कहा कि यह क्षण गर्व का है और मैं काफी भावुक हो गया हूँ, मैं यह अवॉर्ड पाकर काफी खुश हूँ। 2013 में पहुंचे थे अमेरिका : उन्होंने कहा कि 12 जून 2013 को मैं आंखों में सपने लिए अमेरिका आया था। मैंने उससे पहले अपनी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे। मैं डेविड कैर्रल की सराहना करते हैं। इस काम से सबसे बड़ा योगदान रहा मैं आज जो कुछ हूँ। इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। यहां के लोगों से भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार और समर्थन मिला है। अमेरिका के सभी स्टेटों में है फैला है कारोबार: अमेरिका के इन सभी राज्यों में मार्केटिंग का कारोबारफैला हुआ है, आलमबाग, अला अलास्का, अर्कासा, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेर, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, वाशिंगटन, वेस्ट वर्जीनिया, विस्कॉन्सिन, व्योमिंग, हवाई इडाहो, इलिनॉय, इंडियना, आयोवा, साउथ डकोटा, टेनेसी टेक्सास, यूटा, वर्मोन्ट, कंसास, केंटकी, लुइसियाना, मेरीलैंड, मैसाचुसेट्स, मिशिगन मिसेसिपी, मिसौरी, ओक्लाहोमा, ओरेगन, पैसिल्वेनिया, रोड आइलैंड, दक्षिण कैरोलिना, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क उत्तरी कैरोलिना, नॉर्थ कॉरोलिना, ओहियो, मॉटाना, नेब्रास्का, नेवादा, न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, कि सभी स्टेटों में मार्केटिंग कंपनी काम कर रही है।

भगत

टाधार

आवास लाभ

जागरूक प्रधान ता गांव का बेहतर काम

दानक बुद्ध का सदृश
तलसीपर / बलरामपुर

बिलोहा बनकसिया मैं ग्राम प्रधान ग्राम सचिव ग्राम रोजगार सहित



A photograph showing a group of approximately ten people of various ages and ethnicities gathered outdoors. In the foreground, a woman wearing a bright red sari with a gold border is standing. Next to her, a man in a blue polo shirt is kneeling, holding a long wooden pole or stick. Behind them, several other individuals are standing, including a man in a striped shirt, a woman in a pink sari, and another man in a light blue shirt. To the right, a person wearing a white cap and a light blue shirt is holding a metal bucket. The background shows a clear blue sky and some greenery, suggesting a rural or semi-rural setting.

इडा एवं नगर पालिका की मिली भगत से पीएम आवास योजना का बंटाधार

गोण्डा। जिला नगराय विकास अभिकरण (डूड़ा) एवं नगर पालिका परिषद गोण्डा की मिली भगत से शासन की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ दिया गया। जबकि इनके नाम भूमि के स्वामित्व का कोई कागजात नहीं है। इन्होंने अपनी जेठानी उर्मिला (जो कि सभासद है) के जरिए नगर पालिका गोण्डा में सेटिंग-गेटिंग करके अपने नाम हाउस टैक्स की रसीद कटवा लिया और उसी के सहारे दूसरे की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ लें लिया। मामले की जानकारी होने पर जमीन के असली मालिक ज्ञानदास पुत्र प्रांग न शकायत पत्र डीएम, एसपी सहित परियोजना अधिकारी डूड़ा को दिया है। ज्ञानदास ने 13 जनवरी 1992 को गाटा संख्या 170 में से साढ़े छः डिसमिल जमीन भू-स्वामी सुरफुर पुत्र सुखी से बैनामा लिया था।

उत्तर दिशा में एक कमरा बनाकर रहने लगा। जनपद से स्थानांतरण होने पर ज्ञानदास ने अपना कमरा कुनू जैसवाल पुत्र सुन्दर निवासी रानीजोत थाना कोतवाली नगर, गोण्डा को किराए पर दे दिया था। वर्ष 2020 में जब घर लौटा तो देखा ज्ञानदास पुत्र प्रांग न शकायत की पाई गई। इस योजना में ऐसा खेल कोई नया नहीं है। पूर्व में भी संतर्झ पुरवा बड़गांव वार्ड नंबर 04 के लाभार्थी शिवचन्द्र पुत्र कन्हैया को अपात्र होते हुए भी मात्र हाउस टैक्स के आधार पर पैसे लेकर प्रधानमंत्री आवास द्वारा सेटिंग-गेटिंग कर बिना भूमि के किसी कागजात के हाउस टैक्स कटवा कर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूड़ा) से सेटिंग गेटिंग कर उसी जमीन पर बिना स्थलीय सत्यापन किये कुनू के छोटे भाई गिरजेश की पत्नी निर्मला को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ प्रदान कर दिया। इस योजना में ऐसा कारा डूड़ा मुनन्द्र सह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गलत तरीके से प्राप्त किये गये आवास के लाभार्थियों से रिकवरी होगी। जबकि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गोण्डा संजय मिश्रा ने कहा कि दशहरा के बाद देखते हैं। जबकि कर निर्धारण अधिकारी नगर पालिका परिषद गोण्डा अशोक कुमार सरोज ने दो दिन तक अनेकों फोन करने पर भी फोन नहीं उठाया। शायद उन्हें ज्ञात हो चुका है कि नगर पालिका से गलत ढंग से हाउस टैक्स की रसीद काटी गई।

एक युवाय बालक का राटापटर
के चपेट में आने से मौके पर मौत
जैविक तर्दा का संदेश

अयोध्या। स्वमित्व विवाद के पूर्व उपमंत्री व कबीरमठ निवासी रामप्रकाश दास है। उन्होंने बताया कि गत 18 जून को उन्होंने जब मन्दिर में परीक्षा दास व धर्मप्रकाश दास से अपने कमरे की बिजली काटे जाने के बारे में पूछा तो परीक्षा दास व धर्मपकाश दास एवं उनके सहयोगियों ने भद्री-भद्री गालियां देते हुए मारने-पीटने पर आमदा हो गये और कहा कि यहां से भाग जाओ नहीं तो तुम्हे इसी कमरे में दफन कर देंगे कोई जान भी नहीं पायेगा, अब हम लोग यहां के मुखिया हैं। उन लोगों की इन बातों से रामप्रकाश दास को शंका होने पर उन्होंने गत 22 जून को डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स कार्यालय रीडर्जंज जाकर मठ के पंजीकरण पत्रावली का जब मठ से अब नया मोड़ आ गया है। न्यायालय के आदेश पर स्वामित्व का दावा करने वाले एक पक्ष के मुख्य पक्षकार परीक्षा दास व उनके सहयोगियों के खिलाफ कोतवाली अयोध्या में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं का अभियोग पंजीकृत किया गया है। यह अभियोग पंजीकृत होने के बाद मामले के आरोपियों की मुश्किले अब बढ़ती नजर आ रही है, वहीं इस मामले में दूसरे पक्ष ने अभियोग पंजीकृत करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिये जाने तथा अपराध अभिलेखीय होने के कारण कोई भी प्रतिक्रिया देने से इन्कार किया। जानकारी के मुताबिक इस मामले के शिकायतकर्ता श्री कबीर धर्म मन्दिर सेवा समिति जियनपर

के पूर्व उपमंत्री व कबीरमठ निवासी रामप्रकाश दास है। उन्होंने बताया कि गत 18 जून को उन्होंने जब मन्दिर में परीक्षा दास व धर्मप्रकाश दास से अपने कमरे की बिजली काटे जाने के बारे में पूछा तो परीक्षा दास व धर्मपकाश दास एवं उनके सहयोगियों ने भद्री-भद्री गालियां देते हुए मारने-पीटने पर आमदा हो गये और कहा कि यहां से भाग जाओ नहीं तो तुम्हे इसी कमरे में दफन कर देंगे कोई जान भी नहीं पायेगा, अब हम लोग यहां के मुखिया हैं। उन लोगों की इन बातों से रामप्रकाश दास को शंका होने पर उन्होंने गत 22 जून को डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स कार्यालय रीडर्जंज जाकर मठ के पंजीकरण

तो उन्हे विपक्षियों द्वारा उनके साथ छल-कपट व धोखाधड़ी करके उनका कूटरचित फर्जी हस्ताक्षर बनाकर तथा उनका झूठा त्यागपत्र तैयार करके कार्यालय में दाखिल करके उन्हें संस्था के उपमंत्री पद से हटा दिये जाने की जानकारी हुई। श्री दास ने बताया कि विपक्षियों की संस्था के प्रति नियत अच्छी नहीं है और उनका यह कृत संस्था के करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को नाजायज ढग से बेचकर भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने संस्था की जमीन बिक्री करने का विरोध किया तो विपक्षियों द्वारा उनका त्यागपत्र तैयार करके उन्हे संस्था के महत्वपूर्ण पद से हटा दिया गया। इसके साथ ही जब

उन्होंने उसी दिन मठ पंजीकरण पत्रावली का विस्तृत मुल्यांकन कराया तो पता चला कि विपक्षियों द्वारा उनके इस्तीफे व संस्था में रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिये जाने के सम्बन्ध में एक झूठा पत्र उपनिबन्धक कार्यालय में दाखिल किया गया और संस्था के संशोधित कार्याकारिणी को तीन सितम्बर वर्ष 2005 को उपनिबन्धक कार्यालय द्वारा पंजीकृत करा लिया गया, जबकि उन्होंने विपक्षियों द्वारा किये गये षडयंत्र व धोखाधड़ी व कूटरचना के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति तीन सितम्बर 2005 को प्रातः दस बजे उपनिबन्धक कार्यालय में दाखिल कर दिया गया था। शिकायतकर्ता श्री दास ने बताया कि मामले में आरोपित पंजीकृत किये जाने का आदेश किये गये परीक्षा दास उर्फ किशन

लाल साहू धर्मप्रकाश दास, मुक्ति शरण दास, अचिन्त दास व विनय शरण दास में से परीक्षा दास, धर्मप्रकाश दास व मुक्तिशरण दास पूर्व सजायापता अपराधी है और अपने दोष सिद्ध के विरुद्ध उच्चन्यायालय से जमानत पर छूटे हैं। उन्होंने बताया कि घटना को लेकर उनके द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत पत्र दिया गया था किन्तु वहां से कार्यवाही न होने के कारण गत एक जुलाई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी रजिस्ट्री डाक के माध्यम से मामले की जानकारी दी गयी थी, किन्तु इस पर भी कोई कार्यवाही न किये जाने पर उनके द्वारा मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। जिस पर यह अभियोग तथा विचारों को जीवन में अपनाने पर विवश कर दिया। इससे पूर्व बच्चों ने अतिथियों के साथ महापुरुषों के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया एवं उनके जीवनी तथा विचारों को जीवन में अपनाने का संकल्प भी लिया। इस दौरान सुनील पाल, संकटा प्रसाद पाण्डे, उमेश यादव, अभिषेक, प्रेम, वीर बहादुर, राज, प्रीति, प्रिया, खुशी, रागिनी, गोविन्द इत्यादि की उपस्थिति सराहनीय रही।

